



Project on Child Domestic Workers

Moving forward from Awareness to Advocacy

CUTS Centre for Consumer Action, Research and Training (CUTS-CART) in collaboration with Save the Children (UK) is implementing a unique project on Child Domestic Workers (CDWs) entitled “*Hum Bhi Bachche Hain*” in the city of Jaipur July 2005. During the last quarter of the one-year project, the following activities were organised during April-June 2006.

- State Level Advocacy Seminar
- Essay Competition
- Road Shows
- Monitoring Cells
- Advocacy with Line Departments
- Quarterly Newsletter

State Level Advocacy Seminar

“Although there are laws to protect other forms of child labour, the CDWs have not been included in the legal provisions till date. Unless the common man wakes up to the needs of these children and changes the attitude, the situation won’t change”, said Chairman of the Rajasthan State Human Rights Commission Justice N.K. Jain while delivering the inaugural address, as the Chief Guest, of the state level advocacy seminar under the project held at Maharani Plaza in Jaipur on May 26, 2006. In his address he suggested inclusion of adequate provisions in the Child Labour Act to protect the rights of child domestic workers. ‘Although many laws exist in order to ensure the Right to Equality but the implementation is very



L to R: George Cheriyan, Justice N.K. Jain, Jivraj Singh, Dharmendra Chaturvedi at State Level Advocacy Seminar under CDWs on May 26, 2006

weak. To achieve the aforesaid, political will, public and parents’ support will have to be ensured,’ Justice Jain further stated.

Earlier, Dharmendra Chaturvedi, Coordinator of the project, made introductory remarks, and welcomed the guests. Chaturvedi along with Priyanka Gupta (Intern at CUTS) made a detailed presentation, on the one-year activities of the project, setting the direction of the advocacy seminar.

The Chief Guest also distributed prizes to the children, who participated in various competitions under the year-long project.

Project Director, National Child Labour Project and Asst. Labour Commissioner, Jivraj Singh delivered the keynote address. There is a dire need to develop and follow a common code of conduct to get rid of the issue. Media plays a vital role in propagating such issues. There has to be a focused approach towards these problems along with a positive outlook. Only then some concrete outputs will be achieved’ said Mr. Singh.

A documentary film “*Jiya*” was also shown during the seminar to make the participants aware of the harassment that the child domestic workers are facing. The theme of this film was centrally based on a character ‘*Jiya*’ who was brought by his uncle from a village to a city in order to work in a house, where she was ill treated

and physically harassed but at the end of the day she managed to return to her village. This film successfully managed to create a sense of belongingness and solidarity among the children and adults watching it.

While initiating the open discussions, Programme Coordinator, Save the Children (UK), Neetu Sahi emphasised the need to locate child domestic workers and sensitise each and every person on the issue. She appreciated the work done by CUTS-CART during the year long project.

Anil K. Joseph (World Vision of India), Manju Bala Joshi (CECOEDECON) and Tara Singhal (RUWA) along with several others actively participated in the discussions and put forward suggestions for advocacy. While intervening in the discussions, George Cheriyan, Associate Director, CUTS spoke about the national and international acts and laws for ensuring Rights of Children and the need to follow the same.

....

INSIDE

- Essay Competition
- Road Shows
- Monitoring Cells
- Advocacy, with the Government
- Childrens Rights - Justice N.K. Jain

Forthcoming Activities July 2006

- Capacity building of schools to sustain the activities beyond the project period
- Formation of monitoring cell in each of the schools to child domestic work
- Advocacy with various line departments.

4

No. 2006, Quarterly Newsletter



CUTS Centre for
Consumer Action,
Research & Training

Email: cart@cuts.org
Website: www.cuts-international.org

Published with the support of
Save the Children, UK



Any attempt to accept the CDWs as a reality traditionally followed in the country will dilute the cause and will hamper the whole purpose of the campaign, he cautioned.

A future plan of action was finalised based on the recommendations emerging out of the seminar. It was decided to submit the recommendations to the State Government.

About 100 participants, representing various INGOs/NGOs, Government Departments, media and teachers and students of the selected schools of Jaipur who participated in the project, attended the seminar. Priyanka Gupta anchored the seminar and K.C. Sharma made the concluding remarks and proposed the Vote of Thanks.

Essay Competition

The inter-school essay competition, as a part of sensitisation and awareness generation programme under the project, was held at Krishnayan Hall, Jawahar Kala Kendra, Jaipur on May 12, 2006. The topic of the competition was 'Are we children too: Problems and Solutions.'



About 50 students, from various schools of Jaipur participated in this competition and put forth their views on the status of child domestic workers.

While inaugurating the essay competition and addressing the students, parents and the teachers, George Cheriyan, highlighted various issues involving CDWs and the need for collective action through child-to-child approach to address the issue and advocacy with the Government. Dharmendra Chaturvedi, explained various activities being undertaken under the project. Priyanka Gupta coordinated the competition and proposed the vote of thanks.

Students also signed a declaration in which they vowed to say no to child domestic work and also to create awareness on the sensitive issue of child rights to the best of their abilities.

Road Shows

The road shows, with an interactive 'Nukad Natak', as the main activity, with the sole purpose of sensitising and generating awareness among the common public and the employer community about the issue of CDWs was started in the month of March in various locations in Jaipur city. The road shows in public places, were held until April 4, 2006. The road shows attracted huge crowds and initiated a debate in the city.

Existing Laws

- Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and the National Policy on Child Labour provide the framework for intervention on child labour issues. The above law prohibits employment of children in certain listed hazardous industries and provides regulation of employment of children in other industries. Domestic child labour is not a prohibited occupation for children
- The Government of India has amended the Central Civil Service Conduct rules to prohibit Civil Servants from employing children below the age of 14 as domestic workers.
- Under Section 27 (A) of the Maharashtra State Public Service Conduct Act, 1997 the Maharashtra government prohibits government employees from employing children below 14 as domestic workers.

Monitoring Cells

During the month of April, preparations were made for the formation of Monitoring Cells (MCs) on CDWs in each of the partnering schools in the project and the capacity building programmes to sustain the activities beyond the project period. The visits to schools and meetings with school authorities and students for the formation of MCs were held from May 1-11, 2006. Out of the 34 schools, in 13 schools MCs were formed during May 2006. In each of the schools, a teacher, who had actively participated in the activities of the project from the beginning was made responsible for the MC and a group of about 10-15 students were made part of it. This core group is responsible for carry forward the activities beyond the project period including servicing the role of peer educators. Groundwork was done in rest of the schools for formation of MCs. The MCs will be established in the remaining 21 schools in July 2006, when the schools reopen after the summer vacation.

Advocacy with the Government

The recommendations from the advocacy seminar were consolidated and sent to the Principal Secretaries of the Department of Women and Child Development (DWCD), Education, Labour and Social Welfare, urging the Government of Rajasthan to take immediate steps and adopt measures to address the issue of CDWs. The key points in the 'charter of demands' are steps for inclusion of CDWs under the purview of Child Labour Act and law prohibiting Civil Servants from employing children below the age of 14 as domestic workers.

Quarterly Newsletter

The third issue of the quarterly newsletter 'Hum Bhi Bachche Hai' was brought out during the month of April. The same was sent to all schools in Jaipur and to other NGOs/INGOs and advocacy groups working on child rights issues.

The project will conclude on July 31, 2006.



Justice N. K. Jain giving away prizes

Horrific Stories

- Raji, 10, is a domestic worker in a Delhi household. She is beaten with a broom every time she makes a small mistake.
- Rashida's employer hit her so hard with a spoon that her front teeth broke.
- Savita, 10, was made to sleep on the floor in winter without a warm bedding.
- Rabia, 15, was sexually abused, both by her employer and his driver.

Children, at a public hearing organised in Delhi by the Human Rights Law Network (HRLN), the National Domestic Workers Movement (NDWM) and the National Commission for Women (NCW), narrated many such horrific stories. According to HRLN, there are over 1.5 million domestic workers in India.

Source: Barat, Teresa (2004) *The dark side of Indian homes*



बालकों के अधिकार

- जस्टिस एन.के. जैन *

आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतन्त्रता एवं गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग तीन में मूल भूत अधिकारों में वर्णित है। न्यायालय भी उनकी मान्यता देता है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किये गये हैं व देश की न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।

इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, स्त्री, पुरुष, बच्चे व वृद्ध लोगों के समान अधिकार। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह सभी अधिकार जन्मजात अधिकार हैं व उनके हनन का मामला राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है।

बच्चों को देश का भविष्य कहा गया है। भावी नागरिक होने के नाते उन पर देश का भविष्य टिका होता है। फिर भी उनके संतुलित विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं व रुकावटें निरन्तर बनी रहती हैं।

भारत में बाल श्रम से सम्बन्धित कई अधिनियम बने हैं, जैसे:

1. बाल अधिनियम, 1933, इसमें बाल श्रम को बंधक बनाने वाले अभिभावकों के विरुद्ध 50 रुपए एवं दलाल या नियोक्ता के खिलाफ 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
2. बाल रोजगार अधिनियम, 1938 में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान रखे गये हैं। अधिनियम के निर्धारित परिशिष्ट के तहत अयोग्यता की सूची में रखा गया है।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, में न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संदर्भ में साढ़े चार घंटे का सामान्य कार्य दिवस माना गया है।
4. खान अधिनियम, 1952, संशोधित अधिनियम, 1983 में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को खान या जमीन के नीचे कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है।
5. अधिनियम 1959 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा बाल अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा 1959 में की गई।

- बालक प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र मत राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति व जन्म के भेदभाव के बिना, इन अधिकारों का हकदार होगा।
- सभी बालक शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास, स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा व अवसर के अधिकारी होंगे।
- बालक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा। उसे और उसकी माता को स्वास्थ्य, देख-रेख व सुरक्षा का अधिकार जन्म के पूर्व व जन्म के बाद उपलब्ध रहेगा। बालक को उचित पोषण, मकान, मनोरंजन व चिकित्सा का अधिकार प्राप्त होगा।

- मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को विशेष उपचार, देख-रेख व शिक्षा दी जाएगी।
- अपने पूर्ण व संतुलित विकास के लिए बच्चे को प्यार व सहानुभूति की आवश्यकता है। छोटी आयु का बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं किया जाएगा। बिना परिवार व सहारे वाले बच्चों की समाज व लोक-प्राधिकारियों द्वारा देख-रेख प्रदान की जाएगी। बड़े परिवार वाले बच्चों को राज्य सहायता दिया जाना भी इच्छित है।
- बालकों को कम से कम प्राथमिक स्तर तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
- बालकों को सभी स्थितियों में सुरक्षा व राहत सबसे पहले पहुंचाई जाएगी।
- बच्चे की उपेक्षा, क्रूरता व शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की जाएगी।
- बाल श्रम अधिनियम, 1986, इसमें 25 खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश करता है। अवहेलना होने पर तीन से बारह माह की कैद या 10 से 20 हजार रुपए तक की सजा का प्रावधान है।

इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रमिकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में 1989 में बाल अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने कई समस्याओं पर विचार किया, जिसमें भारत भी सम्मिलित हुआ था। कुछ खास अनुच्छेद जैसे:

(क) अनुच्छेद 24 के हिसाब से स्वास्थ्य व बीमारियों के इलाज व सुविधाएं व पुनर्स्थापना से सम्बन्धित।

(ख) अनुच्छेद 28 के हिसाब से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य माना है।

(ग) अनुच्छेद 31 के हिसाब से मनोरंजन, खेलकूद का अवसर व अवकाश के समय आराम देने का प्रावधान भी रखा गया है।

(घ) अनुच्छेद 32 में आर्थिक शोषण को रोकने, खतरनाक कामों से दूर रखने के साथ सुरक्षा का प्रावधान भी रखा गया है।

(च) अनुच्छेद 39(इ) में राज्य नीतियों को निर्देश देता है कि वे सुनिश्चित करें कि कामगारों का स्वास्थ्य व शक्ति तथा बच्चों की कम उम्र का गलत इस्तेमाल न किया जाए तथा वे आर्थिक कारणों से ऐसे पेशे अपनाने को मजबूर न हो जाए जो बच्चों की उम्र और शक्ति के उपयुक्त न हों।

इसके साथ संवैधानिक प्रावधानों, भारत के संविधान व मौलिक अधिकार राज्य नीति निर्देश सिद्धान्तों में आर्टिकल 15(3), 24, 45, 39 में कम उम्र के बच्चों को मजबूर व गलत इस्तेमाल नहीं किया जाए।

यहां यह बताना भी आवश्यक है कि बच्चों को अधिकार के लिए 1924 में जेनेवा में पहला अधिवेशन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की एसेम्बली में 1948 में अधिकारों की घोषणा के समय बच्चों के अधिकारों को मान्यता देते हुए मानव अधिकारों की घोषणा में शामिल किया गया। बच्चों के अधिकारों के लिए 1976 में भारतीय संविधान में भी 42वां संशोधन किया गया।

यह भी देखने में आया है कि अभी तक घरेलू कार्य करने वाले छोटे बच्चों को कानूनी प्रावधान में शामिल

नहीं किया गया है। घरों में, होटलों में, साईकिल की दुकान, मोटर गैराज व अन्य बहुत सी जगह पर बच्चे काम कर रहे हैं।

‘कर्ट्स’ संस्था निम्न तबके के बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है तथा इसके तहत जागरूकता एवं संवेदनशीलता के कार्यक्रम भी कर रही है। राज्य सरकार ने भी घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने और राज्य स्तर पर उनकी पैरवी के लिए इस संस्था व ‘सेव द चिल्ड्रन’ की ओर से एक संयुक्त परियोजना शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, महिला व बाल विकास विभाग के सहयोग से संचालित की जा रही है, जिसमें 35 विद्यालयों के कर्मठ व समर्पित भाव से पढ़ने वाले बच्चे राज्य स्तर पर पैरवी कर अपने साथी बच्चों को घरेलू काम से मुक्ति दिलाकर उन्हें पढ़ाई की ओर अग्रसर कर मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में यह सेमीनार “हम भी बच्चे हैं” के माध्यम से परियोजना राज्य स्तरीय एडवोकेसी आयोजित किया जा रहा है। मैं इस संस्था से जुड़े समर्पित कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। उनका यह प्रयास सराहनीय है।

मेरा ऐसा विश्वास है कि जब तक आम आदमी का इन बच्चों के प्रति रूख में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक यह योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगी। हम सभी को अपना काम करने की आदत डालनी होगी।

आशा है गरीब बच्चों का किसी भी तरह से शोषण न हों व अभिकर्ता उसका लाभ न लें। इसके लिए सरकार की तरफ से कानून बनाया जाना जरूरी है, जिसमें माता-पिता की भी जिम्मेदारी रहे कि वे थोड़े से लाभ के लिए बच्चों को घरेलू व अन्य काम में न भेजें। साथ ही काम करने वाले बच्चों व मालिकों की ग्रीडी (लालची) प्रवृत्ति को रोकना होगा। सभी के साथ समानता के अधिकार का ध्यान रखना होगा।

पढ़ाई के साथ-साथ अन्य मनोरंजन, खेलकूद, टी.वी., अखबार, उनको पूरा नाशता व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। यदि बच्चों के काम के बारे में कानून बने तो बच्चों की उम्र व क्षमता के अनुसार कार्य एवं समय नियत होना जरूरी है। एक दिन छुट्टी का प्रावधान हो।

मेरे हिसाब से वर्तमान में बेरोजगारी की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विधि में यह प्रावधान अवश्य होना चाहिए कि यदि कोई बालक अपनी शिक्षा एवं खेलकूद के समय के अतिरिक्त पैतृक व्यवसाय में अभिभावक की मदद करता है तो वह उसकी शिक्षा का एक अंग है, जो आगे चलकर उसके रोजगार से जुड़ेगा।

आशा है विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार भी ध्यान देगी, जिससे सभी को लाभ मिल सकेगा।

यह सही है कि बच्चों के लिए घरेलू काम कराने के अलावा बहुत से कानून बने हुए हैं, परंतु वे कोई न कोई कारण से क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कानून बनाने से समस्या का हल नहीं होगा, जब तक कि पोलिटीकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल, माता-पिता व हम सभी का सहयोग नहीं होगा।

आशा है आज की परिचर्चा को क्रियान्वित करने के लिए सरकार के साथ-साथ स्वयं सेवी संस्थाओं व हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि ये वास्तविक रूप में लागू हों, जिससे ये बालक देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक हों।

*पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग



Schools of Jaipur City Participating in the Project 'Hum Bhi Bachche Hain'

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Adarsh Vidya Mandir | 9. Government Poddar Senior Secondary School | 17. M C Sindhi Panchayat Senior Secondary School | 26. Saint Greek Public School |
| 2. Atri Public School | 10. Government Girls Senior Secondary School, Jhotwara | 18. Modern Balika Mandir | 27. Saraswati Vidya Niketan |
| 3. Bright Buds School | 11. India Overseas School | 19. National Vidya Ashram | 28. S R International Academy |
| 4. Children's Academy | 12. Indobharat School | 20. New Adarsh Public School | 29. St. Soldier Public School |
| 5. Gayatri Public School | 13. Jagrati Vidya Mandir | 21. Nitin Shiksha Samiti | 30. St. Sophia Girls Senior Secondary School |
| 6. Government Senior Secondary School, Durgapura | 14. Jaipuria Vidyalaya | 22. Parashar Public School | 31. Springfield School |
| 7. Government Girls Senior Secondary School, Sanganeer | 15. Janta Adarsh Senior Secondary School | 23. SSG Pareek Senior Secondary School | 32. SVM Public School |
| 8. Government Maharaja Girls Senior Secondary School | 16. Kapil Gyanpeeth | 24. Prince Public School | 33. St. Xavier's School |
| | | 25. Seedling Public School | 34. Veena Vadini Senior Secondary School |

'कामकाजी बच्चों पर कानून भी खामोश'

कट्स व सेव द चिल्ड्रन की राज्यस्तरीय एडवोकेसी सेमिनार

जयपुर, 26 मई • नर्स। घरेलू कामकाजी बच्चों के बारे में न सिर्फ अभिभावक और मालिक संवेदनहीन हैं बल्कि कानून भी खामोश है। इसी तथ्य को शुरुआत को होटल महाराजी प्लाजा में आयोजित राज्यस्तरीय एडवोकेसी सेमिनार में रेखांकित किया गया।

सेमिनार का आयोजन सेंटर फॉर कंज्यूमर एक्शन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (कट्स) जयपुर और सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से ऐसे बच्चों के लिए चलाई जा रही परियोजना 'हम भी बच्चे हैं' के तहत किया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन थे।

बच्चों के अभिभावकों की जिम्मेदारी तब तक होती है जब तक वे अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं। यह बच्चों के अधिकारों के लिए एक बड़ा चुनौती है।

आचार संहिता बनाने की जरूरत सरकार के बाल श्रम परियोजना जीवराज सिंह का कहना था कि इस से निजात पाने के लिए सम्मिलित रूप से ए

संहिता बनाने पर काम करने की जरूरत है। उद्देश्य से कानून लागू करने में मदद करने के लिए कानून बनाने के लिए आवश्यकता पर बल दिया। कट्स के समन्वयक धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने परियोजना

परिस्थितियों व उद्देश्यों को उल्लेख किया। इस मौके पर बाल अधिकारों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी और

हर तीसरे घर में एक बाल श्रमिक श्रुति रिपोर्ट

चाइल्ड वॉलेंटियर कंसर्स (सीडीडब्ल्यू) की स्थिति पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कानून ज्ञानपीठ, मानसरोवर में एक गुप्त डिस्कशन आयोजित किया गया। कंज्यूमर एक्शन, रिसर्च और ट्रेनिंग (कट्स) के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। उन्हें विषय से

'हम भी बच्चे हैं'

जयपुर, 26 मई। कट्स की ओर से आज यहां 'हम भी बच्चे हैं' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। घरेलू कामकाजी करने-वाले बच्चों पर आयोजित इस सेमिनार में विभिन्न व्यवसायों ने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग जाहिर की।

सेमिनार में बालश्रम अधिनियम 1986 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, फैक्टरीयों समेत घरेलू कार्यों में जुटे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया।

परियोजना को दो सत्रों में बांटकर अलग-अलग कार्य क्षेत्र से जुड़े बच्चों के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विचार-विमर्श किया गया। साथ ही बच्चों के लिए

Call for legal protection of domestic child workers

HT Live Correspondent

IAN of the Rights Com- ingested ade- ns in the ct to protect ild domestic

ys to protect child labour aid domestic he chairper- RC, NK Jain. sing a state seminar or- TS on Child ers under Hum Bhi Bachche Hain on Friday

SEMINAR ON CHILD LABOUR

children will not be fruit- ful.

To implement the exist- ing law on Right to Equal- ity for children needs politi- cal will and the support of public and parents.

Law should also have to ensure that the parents of these children fulfill their re- sponsibilities and don't send their children for meager benefits.

is a dire need to develop and follow a common code of conduct to get rid of the issue. Media plays a vital role in propagating such is- sues. There has to be a fo- cussed approach towards these problems along with a positive outlook, only then some concrete output would be seen, he added.

Programme Coordinator, Save the Children, Neetu Sahi emphasised the need to locate child domestic workers and sensitise each and every person on the is- sue.

CUTS plans to formulate a strategy for future on the



निबंध प्रतियोगिता आयोजित

जयपुर, 12 मई। सेंटर फॉर कंज्यूमर एक्शन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से यहां जवाहर कला केन्द्र के कुणायन सभागार में 'क्या हम भी बच्चे' समस्यार्थ एवं समाधान' निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता में शहर के 35 चयनित विद्यार्थियों की कक्षा आठ से दस कक्षा ग्यारह व बाहर के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के वि विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

विशेष

सेमिनार में बलात्कार, अपहरण, कन्याओं को बेचना, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर चर्चा

समानता और गरिमा से जीने का अधिकार सभी को

जयपुर, 26 मई। प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के भाग तीन में मूलभूत अधिकारों में वर्गीकृत मानव अधिकार उ

यह शुरुआत को घरेलू कामकाजी बच्चों के बारे में न सिर्फ अभिभावक और मालिक संवेदनहीन हैं बल्कि कानून भी खामोश है। इसी तथ्य को शुरुआत को होटल महाराजी प्लाजा में आयोजित राज्यस्तरीय एडवोकेसी सेमिनार में रेखांकित किया गया।

कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग तीन में मूलभूत अधिकारों के माध्यम से अनेक बाधाएं व बाधाएं हटाने की प्रवृत्ति व बच्चों में आस्था, रम्यो भी शामिल हैं छोटे अपराधों के लात्कार, अपहरण, भ्रूण हत्या, बाल

जयपुर, 26 मई। सेंटर फॉर कंज्यूमर एक्शन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (कट्स) की ओर से घरेलू कामकाजी बच्चों के लिए संचालित परियोजना 'हम भी बच्चे हैं' के तहत शुरुआत को महाराजी प्लाजा में राज्य स्तरीय एडवोकेसी सेमिनार हुआ। कार्यक्रम अधिकारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने घरेलू कामकाजी बच्चों के बारे में संस्था की ओर से किए गए कार्यों, परिणामों एवं समस्याओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि राजस्थान स्टेट वूमन राइट्स कमिशन के चेयरमैन एन.के. जैन ने कहा कि जब तक हमारे मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बच्चों के प्रति जागरूकता का प्रयास संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत में बालश्रम से संबंधित कई अधिनियम बने हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से क्रियान्वित नहीं हो पाए। कार्यक्रम के दौरान यूके निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'जोया' भी दिखाई गई, जिसमें घरों में काम करने वाले बाल श्रमिकों पर हो रहे आघातों की शरणा गया।

आजा जरूरी है। माता-पिता की भी जिम्मेदारी रहे कि वे बच्चों से स्नातक के लिए बच्चों को घरेलू और अन्य काम में न भेजें। इसके साथ ही काम करने वाले बच्चों को शैक्षणिक और मालिकों की

उन्होंने कहा कि के साथ-साथ अन्य बच्चे हुए हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं। सि नहीं होगा, जब तक इच्छाशक्ति, माता- होगा। इस अवसर जीवराज सिंह ने आज हर जगह से आने वाले बच्चों को घरेलू कामकाजी बच्चों पर निबंध प्रतियोगिता

संविधान

जयपुर। प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के भाग तीन में मूलभूत अधिकारों में वर्गीकृत मानव अधिकार उ

अन्य काम में न भेजें। इसके साथ ही काम करने वाले बच्चों को शैक्षणिक और मालिकों की

उन्होंने कहा कि के साथ-साथ अन्य बच्चे हुए हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं। सि नहीं होगा, जब तक इच्छाशक्ति, माता- होगा। इस अवसर जीवराज सिंह ने आज हर जगह से आने वाले बच्चों को घरेलू कामकाजी बच्चों पर निबंध प्रतियोगिता

रुख बदलने से होगी योजना पूर्ण

नगर प्रतिनिधि जयपुर, 26 मई। अभी तक घरेलू कामकाजी बच्चों को कानूनी प्रवर्धन में शामिल नहीं किया है। यद्यपि बाल श्रमिकों के लिए अधिनियम विद्यमान है। जब तक आम आदमी का इन बच्चों

में घरेलू काम करने वाले बच्चों की माता-पिता की जिम्मेदारी भी स्पष्ट करनी होगी। बच्चे को स्नातक के लिए बच्चों को घरेलू कामकाजी बच्चों पर निबंध प्रतियोगिता

हम भी बच्चे हैं' के तहत सेमिनार

जयपुर, 26 मई। कट्स की ओर से आज यहां 'हम भी बच्चे हैं' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। घरेलू कामकाजी करने-वाले बच्चों पर आयोजित इस सेमिनार में विभिन्न व्यवसायों ने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग जाहिर की।

सेमिनार में बालश्रम अधिनियम 1986 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, फैक्टरीयों समेत घरेलू कार्यों में जुटे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया।

परियोजना को दो सत्रों में बांटकर अलग-अलग कार्य क्षेत्र से जुड़े बच्चों के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विचार-विमर्श किया गया। साथ ही बच्चों के लिए

चाइल्ड वॉलेंटियर कंसर्स (सीडीडब्ल्यू) की स्थिति पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कानून ज्ञानपीठ, मानसरोवर में एक गुप्त डिस्कशन आयोजित किया गया। कंज्यूमर एक्शन, रिसर्च और ट्रेनिंग (कट्स) के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। उन्हें विषय से

'हम भी बच्चे हैं'

जयपुर, 26 मई। कट्स की ओर से आज यहां 'हम भी बच्चे हैं' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। घरेलू कामकाजी करने-वाले बच्चों पर आयोजित इस सेमिनार में विभिन्न व्यवसायों ने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग जाहिर की।

सेमिनार में बालश्रम अधिनियम 1986 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, फैक्टरीयों समेत घरेलू कार्यों में जुटे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया।

परियोजना को दो सत्रों में बांटकर अलग-अलग कार्य क्षेत्र से जुड़े बच्चों के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विचार-विमर्श किया गया। साथ ही बच्चों के लिए

चाइल्ड वॉलेंटियर कंसर्स (सीडीडब्ल्यू) की स्थिति पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कानून ज्ञानपीठ, मानसरोवर में एक गुप्त डिस्कशन आयोजित किया गया। कंज्यूमर एक्शन, रिसर्च और ट्रेनिंग (कट्स) के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। उन्हें विषय से

'हम भी बच्चे हैं'

जयपुर, 26 मई। कट्स की ओर से आज यहां 'हम भी बच्चे हैं' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। घरेलू कामकाजी करने-वाले बच्चों पर आयोजित इस सेमिनार में विभिन्न व्यवसायों ने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग जाहिर की।

सेमिनार में बालश्रम अधिनियम 1986 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, फैक्टरीयों समेत घरेलू कार्यों में जुटे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया।

परियोजना को दो सत्रों में बांटकर अलग-अलग कार्य क्षेत्र से जुड़े बच्चों के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विचार-विमर्श किया गया। साथ ही बच्चों के लिए

चाइल्ड वॉलेंटियर कंसर्स (सीडीडब्ल्यू) की स्थिति पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कानून ज्ञानपीठ, मानसरोवर में एक गुप्त डिस्कशन आयोजित किया गया। कंज्यूमर एक्शन, रिसर्च और ट्रेनिंग (कट्स) के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। उन्हें विषय से

'हम भी बच्चे हैं'

जयपुर, 26 मई। कट्स की ओर से आज यहां 'हम भी बच्चे हैं' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। घरेलू कामकाजी करने-वाले बच्चों पर आयोजित इस सेमिनार में विभिन्न व्यवसायों ने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग जाहिर की।

सेमिनार में बालश्रम अधिनियम 1986 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, फैक्टरीयों समेत घरेलू कार्यों में जुटे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया।

परियोजना को दो सत्रों में बांटकर अलग-अलग कार्य क्षेत्र से जुड़े बच्चों के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विचार-विमर्श किया गया। साथ ही बच्चों के लिए

चाइल्ड वॉलेंटियर कंसर्स (सीडीडब्ल्यू) की स्थिति पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कानून ज्ञानपीठ, मानसरोवर में एक गुप्त डिस्कशन आयोजित किया गया। कंज्यूमर एक्शन, रिसर्च और ट्रेनिंग (कट्स) के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। उन्हें विषय से

'हम भी बच्चे हैं'



Hum Bhi Bachche Hain newsletter: Published and composed by CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART), D-222, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India, Phone: 91.141.513 3259, 228 2821, Fax: 91.141.228 2485, Email: cart@cuts.org, Website: www.cuts-international.org. Printed by: KBS Printers, Tonk Road, Jaipur 302 001, India.

COURTESY - Stop Child Domestic Work Logo: Save the Children, UK

